

NHRC: National Human Rights Commission

Lagatar 24

Birhor Deaths Spark NCST Action, Top 5 Jharkhand Officials Issued Notices

<https://lagatar24.com/birhor-deaths-spark-ncst-action-top-5-jharkhand-officials-issuednotices/>

Ranchi: The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has taken serious note

of the repeated deaths of Birhor tribespeople allegedly caused by mining activities in Jharkhand's Chatty Bariatu coal project area, operated by Ritwik-AMR company in Hazaribagh district.

In just one week, the NCST has re-issued notices to five top Jharkhand government officials, demanding explanations within 15 days regarding the recent deaths. The commission has warned that failure to respond could lead to summons.

Earlier notices were issued following the deaths of Durga and Kirani Birhor. Fresh notices were issued after the deaths of Geeta Birhor and two-month-old Nisha Birhor, all

linked to mining-related environmental hazards.

Officials Who Received Notices:

Additional Chief Secretary, Health & Family Welfare Department

Secretary, Scheduled Tribes and Backward Class Welfare Department

Secretary, Department of Forest, Environment & Climate Change

Secretary, Department of Mines and Geology

Director General of Police (DGP), Jharkhand

Trigger: Activist Complaint

The NCST acted upon a complaint by activist Mantu Soni, who accused NTPC of disregarding safety, environmental, and public health norms in its haste to begin mining

operations. According to Soni, the project has already claimed the lives of at least four

Birhor individuals, including a two-month-old baby on April 23.

NHRC Also Raises Concern

The National Human Rights Commission (NHRC) has also intervened, expressing concern over Geeta Birhor's death. It issued notices to the NTPC CMD and Hazaribagh

DC. The NHRC remarked that NTPC and district administration appeared to prioritize

mining over the health and rights of the tribal population.

According to the joint inspection committee's report cited by NHRC, NTPC's activities

pose a direct threat to the life and welfare of the Birhor tribe. Despite this, mining continues at the Chatty Bariatu project, violating safety recommendations.

No Action on Probe Report Recommendations

The NCST expressed serious concern that the district administration has failed to act on

the recommendations of a five-member probe committee headed by the Sub-Divisional

Officer (SDO). The committee had concluded that mining around Birhor Tola in Pagar

village was endangering lives due to dust pollution, frequent blasting, and heavy vehicle movement.

The report recommended halting mining until the Birhor families were relocated to a safer area. Yet, the operations continue unabated.

Most alarming, the NCST noted, is that none of the Birhor deaths underwent mandatory

post-mortems under CRPC Section 174(3). The commission criticized this lapse as an

attempt to obscure the true causes of death and shield the guilty parties.

THG

Gujarat Tragedy: Muslim Man Burned Alive in Car, Family Alleges Cow Vigilante Attack

<https://thehindustangazette.com/national/gujarat/gujarat-tragedy-muslim-man-burnedalive-in-car-family-alleges-cow-vigilante-attack-35026>

AHMEDABAD, GUJARAT – A horrifying tragedy unfolded in Gujarat's Gandhinagar district, where the charred remains of Mohammed Bhura Habibullah, a 36-year-old Muslim man and cattle trader, were found in a burnt car in Santej village. His copassenger,

Syed Mohammed Rafiq, was discovered unconscious nearby, sustaining severe injuries. While local police are calling the incident a road accident, the victim's family has firmly alleged foul play, blaming cow vigilantes for the brutal death.

Incident Details: Burned Car, Unanswered Questions

According to initial police reports, Habibullah and Rafiq were traveling through Vayana

village on Monday when their car allegedly caught fire after hitting an object.

Inspector

S.R. Muchhal of Santej police stated, "Preliminary findings suggest a fatal road accident

caused the fire. The narrow lane may have trapped the occupants inside."

However, this version is being strongly disputed by the victim's family and community members.

Family Alleges Murder by Cow Vigilantes

Muqeem, the deceased's brother, accused local cow vigilante groups of murdering Habibullah. Speaking to The Hindustan Gazette, he said, "This was no accident. My brother was tied to the car and set ablaze. His friend Rafiq has visible signs of assault—not burns."

Rafiq, 26, remains in critical condition in a local hospital.

Muqeem and other family members also alleged that Habibullah had been extorted by

local cow vigilantes who demanded monthly payments from cattle traders. "He recently

paid Rs 2,000 to avoid trouble. These groups target those who refuse to pay," one family member said.

Local Patterns of Violence Against Cattle Traders

This is not the first time cow vigilantes have been accused of targeting cattle traders in

Gujarat. In May last year, Mishri Khan Baloch was allegedly lynched while transporting

buffaloes in Banaskantha district. Rights groups have repeatedly called on the government to curb mob violence and protect the lives of minorities and vulnerable communities.

Community Demands Justice and Transparency

Muqeem has filed a separate complaint demanding a full investigation and review of CCTV footage along the route taken by the victims. "If they can call it an accident without being there, why can't I call it murder?" he questioned.

Activists and community leaders are urging state and central authorities to take

immediate action and ensure justice for the victim and his family.

Call for Independent Investigation

Given the serious allegations and the history of violence related to cow vigilantism in the

region, there is a growing demand for an independent and impartial inquiry into the incident. Human rights advocates are calling for the National Human Rights Commission (NHRC) and minority commissions to intervene.

Dainik Bhaskar

भिवानी पंच राष््रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सुनी समझाएं, अधिकाार्यों को दिए प्ररत कारवाई कर समझाओं के समाधान के निदश

<https://www.bhaskar.com/local/haryana/bhiwani/news/national-human-rightscommission-member-priyank-kanungo-visit-bhiwani-and-heard-problems-134900784.html>

राष््रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने वीरवार को भिवानी के गांव ढाणी मा की

धानक समाज की चौपाल पर जनता दरबार लगाकर नागरकों की समझाएं सुनी। समझाओं के समाधान

के लिए मौके पर मौजूद विभि विभागों और पुलिस अधिकाार्यों को जारी निदश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरें मोदी के नेतृ म विक्सित भारत अभियान को सही सफलता तभी

मिलेगी, जब सरकारी योजनाओं और परयोजनाओं का सही तरीके धरातल पर सभी विभागों द्वारा बेहतर

तरीके ियायन होगा। देश और देश म सरकार विक्सित भारत अभियान कायक्रम के तहत

संविधान के जीवन दशन को ापक तौर पर ियायत कर रही ह।

फरयादियों की समझा को कर हल

इस दौरान प्रियंक कानूनगो के सम गांव ढाणी मा तथा आसपास गांवों से करीब तीन दजन लोगो ने

अपनी निजी और सामूहिक समझाएं रखी। नागरकों की समझाएं सुनने के दौरान अधिकाार्यों को निदश

देते ए मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि भारतीय संविधान म बों,

महिलाओं, बुजुर्ग, दिांगजनों सहित ाेक नागरक को समान अधिकार दिए गए ह। अधिकारों की र

के लिए संविधान म कानून का भी ावधान है।

उन्होंने कहा आमजन के हकों की र करना अधिकाार्यों की ाूटी बनती है। उन्होंने अधिकाार्यों को

निदश देते ए कहा कि आमजन की समझाओं का समाधान प्ररत कारवाई करते ए उसे मुखता के

साथ िक्या जाना चाहिए। जो भी नागरक पुलिस थाना या अ िकसी विभाग के कायालय म अपने

फरयाद लेकर जाता है, तो उसकी समझा को अधिकारी गौर से सुने और उसकी समझा का हल निकाल। यह अधिकाार्यों की ाूटी भी है।

आयोग के पास पंची शिकायतों पर लेते ह संान

उन्होंने कहा कि राष््रीय मानवाधिकार आयोग नागरकों के हितों के ित ितब है। जो भी शिकायत

आयोग के पास मं पंचती ह, आयोग उन पर ठोस एवं जरी संान लेता है। नागरको ं की समाओ ं को गंभीरता से लेकर उन पर कारवाई की जाती है। नागरको ं के अधिकारो ं का हनन नहीं ं होने दिया जाएगा।

अधिकांर्यों को िनदश िदए की गांव ढाणी मा म जो भी समाएं नागरकों ंारा यहां पर दी गई ह, उन पर समयब तरीके से कारवाई कर । िकसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरत ।__

Sanmarg

मुर्शिदाबाद : फिलहाल एनआईए जांच नहीं

<https://sanmarg.in/top-news/murshidabad-currently-nia>

कोलकाता : मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों हुई लूटपाट और बमबारी की घटनाओं की एनआईए जांच का

आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जजस सौमेन सेन के डिवजन बच ने बुधवार को इस मामले

की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जजस सेन ने कहा कि वहां के मामलों की जांच के लिए एक

कमेटी बनायी गई है। यह शिकायत की गई कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो जजस सेन ने

कहा कि कमेटी यह सुनिश्चित करेगी। एनआईए की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट अणु माइती ने

बताया कि इस कमेटी में भारतीय मानवाधिकार आयोग, रा. मानवाधिकार आयोग और गैर-सरकारी संगठनों के एक-एक सदस्यों को शामिल किया गया है।

Dainik Jagran

Jharkhand News: एनटीपीसी खनन मामले में NCST गंभीर, राक्ष के टॉप 5 अधिकाक्षर्यो ं को भेजा नोिटस

<https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-ncst-serious-in-ntpc-mining-case-sent-notice-to-top-five-officials-of-the-state-23925167.html>

एनटीपीसी की चक्षी बक्षरयातू कोल पक्षरयोजना में खनन के कारण िबरहोर समुदाय के लोगो ं की मौतो ं पर

राक्षक्षीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर है। आयोग ने राक्ष के पांच शीषक्ष अधिकाक्षर्यो ं को नोिटस जारी

कर 15 िदनो ं में जवाब मांगा है। जवाब न िमलने पर समन जारी करने की चेतावनी दी गई है। यह नोिटस

मंटु सोनी की िशकायत पर जारी िक्या गया है।

राक्षक्षूरो, रांची। एनटीपीसी की चक्षी बक्षरयातू कोल पक्षरयोजना के माइन डेवलपर और ऑपरेटर की ओर

से खनन के दुक्षभाव से िवलुक्षक्षाय आदम जनजाति िबरहोर समुदाय के लोगो ं की लगातार हो रही मौतो ं

को लेकर राक्षक्षीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) गंभीर हो गया है।

बीते एक सक्षाह के भीतर आयोग ने राक्ष के शीषक्ष पांच िवभाग के अधिकाक्षर्यो को नोिटस जारी कर पक्षह

िदनो ं में जवाब मांगा है। जवाब नहीं ं िमलने की क्षक्षिथ में आयोग ने समन भी जारी करने की चेतावनी दी है।

आयोग ने पहली बार दुगाक्ष िबरहोर और िकरणी िबरहोर के मौत के बाद अधिकाक्षर्यो ं को नोिटस जारी

िकिया था।

अपर मुखक्ष सिचव क्षक्षक्ष, िचिकक्षक्ष एवं पक्षरवार कक्षक्षक्ष िवभाग के साथ-साथ सिचव अनुसूचित जनजाति, िपछड़ा कक्षक्षक्ष िवभाग, सिचव वन, पयाक्षवरण एवं जलवायु पक्षरवतक्षन िवभाग, सिचव खान एवं

भूविक्षक्षक्ष िवभाग एवं डीजीपी को नोिटस जारी करते क्षक्षक्ष पक्षह िदनो ं के अंदर कायक्षवाही की सूचना क्षक्षक्षुत

करने को कहा गया था।

अब पुनः गीता िबरहोर की मौत के बाद आयोग ने दूसरी बार शीषक्ष पांच अधिकाक्षर्यो ं को नोिटस जारी

िकिया है। आयोग ने उक्ष नोिटस क्षक्षक्षक्ष मंटु सोनी की िशकायत पर जारी िकिया है। इसी बीच 23

अक्षैल को दो माह की दुधमुंही बक्षी िनशा िबरहोर की भी मौत हो गई है। इस क्षक्षकार यह चौथी मौत क्षक्षक्ष है।

आरोप है िक एनटीपीसी खनन, पयाक्षवरण एवं आम जनजीवन के सुरक्षक्ष मानको ं का उक्षक्षघन करके

आनन-फानन में खनन कायक्ष चालू कर िदिया था। िजसके बाद से अब तक आदम जनजाति समुदाय के

तीन लोगो ं की मौत हो चुकी है।

गीता िबरहोर की मौत ऐसे समय म ं ई है जब मामले म रा ं ं िय मानवािधकार आयोग ने स कदम

उठाया है। आयोग ने कड़ी िट ं णी करते ं ए एनटीपीसी के सीएमडी और हजारीबाग डीसी से

००ीकरण

मांगा है।

Lagatar

बिरहोर मौत मामला : NCST ने एक हफ्ते में पाँच अधिकारियों को फिर भेजा नोटिस

<https://lagatar.in/birhor-death-case-ncst-again-sent-notice-to-top-five-officers-in-a-week/>

Ranchi : हजारीबाग जिले के चौकी बरयातु कोल पथ योजना में खनन कायों के कारण लगातार बिरहोरों

की हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) गंभीर हो गया है। इस पथ योजना

का संचालन ऋषिक-एमआर कंपनी कर रही है।

बीते एक सप्ताह के अंदर आयोग ने रा. सरकार के पांच बड़े अधिकारियों को दोबारा नोटिस जारी किया

है और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर जवाब नहीं मिले तो

समन भी जारी किया जायेगा।

आयोग ने पहली बार दुगा और किरणी बिरहोर की मौत के बाद अधिकारियों को नोटिस भेजा गया था और

पाँच दिनों के अंदर कायवाही की सूचना पत्र तैयार करने को कहा गया था। अब आयोग ने दूसरी बार गीता

बिरहोर और दो माह की बंसी निशा बिरहोर की मौत के बाद फिर से नोटिस जारी किया है। ए.वि. मंडु सोनी की शिकायत पर आयोग ने उठाया कदम

आयोग ने ए.वि. मंडु सोनी की शिकायत पर यह कदम उठाया है। आरोप है कि एनटीपीसी ने खनन,

प्रदूषण और आम जनजीवन के सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जबाजी में खनन शुरू कर दिया,

जिससे बिरहोर समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गयी। इस बीच 23 अप्रैल को चौथे बिरहोर दो माह की

दुधमुंही बंसी निशा बिरहोर की मौत हो गयी।

गीता बिरहोर की मौत ऐसे समय में आई, जब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स

कदम उठाया है। आयोग ने बिरहोरों की मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए एनटीपीसी के सीएमडी और

हजारीबाग के डीसी से जांच करण मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह कहा है कि बेशक

एनटीपीसी द्वारा खनन किया जा रहा है, जबकि यह उचित नहीं है।

NHRC ने कहा कि मामले के तथ्य और संयुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट आयोग को यह मानने के लिए

बाध करती है कि एनटीपीसी और जिला शासन ने बिरहोर आदिवासियों के जीवन और कल्याण पर

खनन गतिविधि को प्राथमिकता दी है। समझौतों और जानमाल के नुकसान के बावजूद चौकी बरयातु

खनन पथ योजना में खनन कायों बेरोकटोक जारी है। बिरहोर समुदाय के जीवन के अधिकार पर खतरा

मंडरा रहा है.

जांच कमेटी की िसफा़रशो ं पर िजला िशासन ने अब तक कोई नहीं ंकी काऱवाई रा़ीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कहा िक वह इस बात को लेकर बेहद गंभीर और हैरान है

िक िजला िशासन ने अब तक जांच कमेटी की िसफा़रशो ं पर कोई काऱवाई ंकी है.

आयोग ने अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) की अता म गिठत पांच सद़ीय जांच सिमित की रपोट का

हवाला देते ंए िजला िशासन पर गंभीर सवाल खड़े िकए ह.

रपोट म साफ िलिखा था िक एनटीपीसी ंरा िबरहोर टोला, पगार के आसपास िकया जा रहा खनन

ा के िलिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. भारी माा म उड़ती धूल, खनन के दौरान होने वाले धमाके

और भारी वाहनो ं की आवाजाही से यहां के लोगो ं को ंस और अ बीमारयो ं का सामना करना पड़ रहा

है. साथ ही माइनिंग करने के िलिए िवोट िकया जाता है, िजसके कारण कोई भी बड़ी दुघटना घट

सकती है.

रपोट म ये भी कहा गया है िक “जब तक िबरहोर समुदाय को दूसरी सुरित जगह नहीं ं बसाया जाता, तब

तक वहां खनन नहीं ं िकया जाना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद आज भी खनन जारी है.

सबसे िचंताजनक बात यह है िक अब तक िजिन प़रथितयो ं म िबरहोरो ं की मौत ंई है, इसके बाद भी

CRPC की धारा 174 (3) के तहत उनका पोमाटम नहीं ंकराया गया, आयोग ने इस लापरवाही को

मौत के असली कारणो ं को छु पाने और दोषियो ं को बचाने की कोशिश बताया है.____

Janta se Rishta

बीआरएस अ०० के टी रामा राव ने सीएम रेवंत रे०ी से साव०जनिक माफी की मांग की

<https://jantaserishta.com/local/telangana/brs-president-kt-rama-rao-seeks-publicapology-from-cm-revanth-reddy-3972772>

हैदराबाद: बीआरएस के कार्य०कारी अ०० के टी रामा राव ने रा०० ीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)

की हा०लिया ०रपोट० के बाद मु०मं०ी ए रेवंत रे०ी से साव०जनिक ०प से माफी मांगने और लागचेरला के

िकसानो ० को परेशान करने वाले पु०लिस अधिका०रयो ० को त०ाल बखा०० करने की मांग की। मंगलवार को

मी०डिया को संबो०धित करते ०ए रामा राव ने कहा ०िक एनएचआरसी ने गांव म० विवादा०द भू०मि अधि०हण

अभियान के दौरान मिहलाओं के साथ ०व००थत दु००वहार और छेड़छाड़ की पु०ि की है।

एनएचआरसी

के िन०ष० ने पु०लिस किम०यो ० के "बब०र ०वहार" को उजागर ०िकया, िजन पर उ००नं े रेवंत के िलए "०िनजी

सेना" के ०प म० काम करने का आरोप लगाया। रामा राव ने कहा, "पु०लिस अधिका०रयो ० ने शालीनता की

सभी सीमाओं को पार करते ०ए युवा आदवासी लड़कियों के साथ अमानवीय ०वहार ०िकया। ये न के वल

०००यो ० के ०खलाफ ब०० ०ाय के विचार के ०खलाफ अ०ाचार ह०।" ०रपोट० को वत०मान ०शासन के

"चेहरे पर तमाचा" बताते ०ए उ००नं े कहा, "अगर मु०मं०ी म० कोई ग०रमा बची है, तो उ०० दिलत और

आदवासी समुदायो ० से माफी मांगनी चाहिए और इ०ीफा देना चाहिए।" उ००नं े

एनएचआरसी के ह००ेप

की सराहना करते ०ए कहा ०िक यह इस बात का संकेत है ०िक "०ाय, धा०मि०कता और मानवता अभी भी इस

देश म० जी०वित है"। उ००नं े कहा, "यह सरकार स०ाई को दबाने की को०शिश कर सकती है, लेकिन हम

तब तक चैन से नहीं ० बैठ०गे जब तक ०िक हर दोषी अधिकारी को दंडित नहीं ० ०िकया जाता।" इस बीच,

लागचेरला के आदवासी प०रवारो ० ने बीआरएस रजत जयंती समारोह के िलए 1 लाख ०पये का दान िदया।

गाना भवन म० एक हे०लाइन ०था०पित की है।